कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून–248001

email id election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551 फैक्स न0 (0135) –2713724

संख्याः 1288 /XXV-25/2025 देहरादून दिनांक 03 अगस्त, 2026

विशेष गहन पुनरीक्षण, 2026 के अन्तर्गत दस्तावेजों के सत्यापन हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 03 अगस्त, 2026 को पूर्वान्ह 10:00 बजे राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

बैठक की उपस्थिति :–

1. डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. श्री किशन सिंह नेगी, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. श्री तीर्थपाल सिंह, अपर निदेशक, आई.टी.डी.ए., उत्तराखण्ड।
4. श्री अवधेश कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
5. डॉ. संगीता गुप्ता, संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
6. श्री ए.के. राजपूत, अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
7. डॉ. शालीनी डिमरी, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
8. श्री मनोज कुमार तिवारी, उप निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
9. श्री के.के. डिमरी, उपायुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. श्री मंजू भारती, उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

उक्त महत्वपूर्ण बैठक में कार्यालय के पत्र संख्या 1271 दिनांक 31 जुलाई, 2026 के माध्यम से सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्षों/निदेशकों को प्रतिभाग करने हेतु अनुरोध किया गया था। तथापि निदेशक/विभागाध्यक्ष के स्थान पर नामित अधिकारियों को बैठक में भेजा गया। इस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा असन्तोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि निर्वाचन जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयों से सम्बन्धित बैठकों में भविष्य में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/निदेशक स्वयं प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में अनुपस्थिति निदेशक इस संबंध में अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण, 2026 के अन्तर्गत नोटिसों की सुनवाई तथा दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों का त्वरित, प्रमाणिक एवं समयबद्ध सत्यापन निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के लिए अत्यन्त आवश्यक है। प्रमाण–पत्रों के सत्यापन में किसी प्रकार के विलम्ब से किसी अर्ह मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से न छूटे, इस उद्देश्य से जनपद स्तर पर विभागीय नोडल अधिकारियों के साथ–साथ विभागीय समन्वय, दैनिक समीक्षा तथा जनपदों से प्राप्त संदर्भों के शीघ्र निस्तारण हेतु राज्य स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किया गया है। राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों द्वारा विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए दैनिक मॉनिटरिंग, लम्बित प्रकरणों की समीक्षा, अन्य राज्यों से प्राप्त संदर्भों का त्वरित सत्यापन तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। यह भी अवगत कराया गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के साथ पठित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम–9 के अन्तर्गत आयोग को आवश्यक अभिलेखों तक पहुँच का अधिकार प्राप्त है।

बैठक में विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय एवं निर्देश निर्गत किये गये :–

1. शिक्षा विभाग

- राज्य के सभी जनपदों में मुख्य शिक्षा अधिकारी को शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन हेतु जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा।
- ईआरओ/एईआरओ से प्राप्त समस्त शैक्षिक प्रमाण–पत्रों का सत्यापन अधिकतम दो दिवस के भीतर किया जाएगा।

- यदि किसी अभिलेख का सत्यापन सम्बन्धित शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से कराया जाना आवश्यक हो तो निदेशालय स्तर से उसका समन्वय करते हुए समयबद्ध सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं निदेशक, उच्च शिक्षा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश निर्गत करेंगे तथा दैनिक समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी सत्यापन प्रकरण दो दिवस से अधिक लंबित न रहे।

2. सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण (ITDA)

- बैठक में अवगत कराया गया कि विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनेक प्रमाण–पत्र अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से निर्गत होते हैं तथा उनका डिजिटल अभिलेख आईटीडीए के पास उपलब्ध है।
- निर्देशित किया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण, 2026 की अवधि (एक माह) के लिए निर्वाचन प्रयोजनार्थ अभिलेखों के सत्यापन हेतु विभाग द्वारा जनपदों में तैनात ई–डिस्ट्रिक्ट मैनेजरों को आवश्यक डाटा अभिगम (Access) उपलब्ध कराया जाए।
- ई–डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ईआरओ/एईआरओ से प्राप्त ऑनलाइन प्रमाण–पत्रों का अधिकतम दो दिवस के भीतर सत्यापन कर सम्बन्धित ईआरओ/एईआरओ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- इस संबंध में आवश्यक विभागीय आदेश तत्काल निर्गत किये जाएंगे।

3. ग्राम्य विकास विभाग

- आयुक्त, ग्राम्य विकास यह सुनिश्चित करेंगे कि विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण–पत्र पात्र नागरिकों को नियमानुसार यथाशीघ्र उपलब्ध कराए जाएँ।
- ईआरओ/एईआरओ द्वारा सत्यापन हेतु भेजे गये अभिलेखों का अधिकतम दो दिवस में सत्यापन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाएगा।
- विभागीय स्तर पर दैनिक मॉनिटरिंग कर लम्बित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

4. पंचायती राज विभाग

- निदेशक, पंचायती राज पंचायत अभिलेखों एवं परिवार रजिस्टर आदि से सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों का समयबद्ध निर्गमन सुनिश्चित करेंगे।
- ईआरओ/एईआरओ से प्राप्त संदर्भों का अधिकतम दो दिवस के भीतर सत्यापन कर उपलब्ध कराया जाएगा।
- जनपद स्तर पर आवश्यक समन्वय स्थापित कर निर्वाचन कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

5. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

- राज्य के प्रत्येक जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जन्म प्रमाण–पत्रों के सत्यापन हेतु जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा।
- जन्म प्रमाण–पत्रों का सत्यापन दो दिवस के भीतर कर सम्बन्धित ईआरओ/एईआरओ को उपलब्ध कराया जाएगा।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण इस संबंध में आवश्यक आदेश निर्गत करेंगे तथा दैनिक समीक्षा सुनिश्चित करेंगे।

6. राजस्व विभाग

- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदाताओं को स्थायी निवास, जाति, भूमि एवं अन्य राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपियाँ नियमानुसार शीघ्र उपलब्ध करायी जाएँ।
- यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाएगा कि राजस्व अभिलेखों की अनुपलब्धता अथवा विलम्ब के कारण कोई भी पात्र नागरिक निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से वंचित न रहे।
- राजस्व अभिलेखों के सत्यापन से सम्बन्धित सभी प्रकरणों का अधिकतम दो दिवस के भीतर निस्तारण किया जाएगा।

7. शहरी विकास विभाग

- जन्म प्रमाण–पत्र, परिवार रजिस्टर तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी अन्य प्रमाण–पत्रों का समयबद्ध सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा।
- नगर निकायों को निर्देशित किया जाएगा कि निर्वाचन प्रयोजन हेतु प्राप्त संदर्भों का प्राथमिकता के आधार पर अधिकतम दो दिवस में निस्तारण करें।

ई–मेल एवं समन्वय व्यवस्था

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी सम्बन्धित विभाग अभिलेखों के आदान–प्रदान एवं सत्यापन हेतु पृथक समर्पित आधिकारिक ई–मेल आईडी तैयार कर उसकी सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय सहित सभी सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण, 2026 के दौरान राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों से प्राप्त दस्तावेजों एवं संदर्भों का सत्यापन भी समयबद्ध रूप से किया जाना है। अतः सभी विभाग ऐसे प्रकरणों को भी समान प्राथमिकता प्रदान करते हुए निर्धारित समयसीमा में निस्तारित करेंगे।

अन्त में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा बैठक समापन करते हुए सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण, 2026 निर्वाचन आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली गतिविधि है। इसलिए प्राप्त होने वाले प्रत्येक सत्यापन प्रकरण का अधिकतम दो कार्य दिवस में निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु विभागाध्यक्ष स्तर पर नियमित समीक्षा एवं दैनिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, जिससे किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलम्ब न हो।

(किशन सिंह नेगी)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

संख्या– 1288/ XXV-25/2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली।
2. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
4. समस्त जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. निदेशक, निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण (ITDA), उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, शहरी विकास, उत्तराखण्ड।
7. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड।
12. कार्यालय प्रति।

(किशन सिंह नेगी)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के अन्तर्गत नोटिस/दावे/आपत्तियों के निस्तारण हेतु मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में राज्य नोडल अधिकारियों के साथ दिनांक 03 अगस्त, 2026 को पूर्वान्ह 10:00 बजे आहूत बैठक की उपस्थिति

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	विभाग का नाम	मोबाईल नम्बर	ईमेल आई.डी.	उपस्थिति/ हस्ताक्षर
1	डॉ0 संगीता गुप्ता संयुक्त निदेशक	उच्च शिक्षा	9359411473	jalhedehradun @gmail.com	SGupta
2	अवधेश कुमार सिंह संयुक्त निदेशक	शहरी विकास	8650872147	awadheshsingh 0712@gmail.com	AK Singh
3	A.K. RAJPUT Addl. Comm.	Rural Development	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	मनोज तिवारी	पंचायती राज उप निदेशक	9411108395	director.pr.uk @gmail.com	[illegible]
5	K.K. Dimri	Board of Revenue	812668616	crc.oldn.99 @Gmail.com	[illegible]
6	Dr Shalini Dimri	Dept of Health.	98370-34289	ukbirth death@gmail.com	[illegible]
7	मंजू भारती	उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा (उत्तराखण्ड)	9412934955	manju@gmail.com	[illegible]
8	Tirth Pal Singh	AD, ITDA	9412991299		[illegible]
9					
10					
11					
12					
13					
14					

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने SIR के तहत नोडल अधिकारियों के साथ नोटिस वितरण एवं सुनवाई पर समीक्षा बैठक की
(03 अगस्त 2026)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने SIR के तहत नोडल अधिकारियों के साथ नोटिस वितरण एवं सुनवाई पर समीक्षा बैठक की
(03 अगस्त 2026)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने SIR के तहत नोडल अधिकारियों के साथ नोटिस वितरण एवं सुनवाई पर समीक्षा बैठक की
(03 अगस्त 2026)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने SIR के तहत नोडल अधिकारियों के साथ नोटिस वितरण एवं सुनवाई पर समीक्षा बैठक की
(03 अगस्त 2026)